

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर-थानों रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर के सामने देहरादून-248008

वेबसाइट-www.sssc.uk.gov.in

E- mail: chayanayog@gmail.com

विज्ञापन संख्याः ६४ / उ०अ०से० च०आ० / २०२४ विनांकः ०४ अक्टूबर, २०२४

चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर सहायक-सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक स्वागती मेट कार्यपर्यवेक्षक आवास निरीक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेत विज्ञापन।

delay, variati, 19, pratratally strict tracks a reco	
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	04.10.2024
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	11.10.2024
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	01.11.2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि/अवधि	05.11.2024 से 08.11.2024
लिखित परीक्षा की अनन्तिम तिथि	19.01.2025

- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह-'ग' के माध्यम से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के 03 रिक्त पदों, राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड के अंतर्गत कम्प्यूटर सहायक-सह स्वागतकर्ता के 03 रिक्त पदों, उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 465 रिक्त पदों, राज्य सम्पत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के 05 रिक्त पदों, आवास निरीक्षक के 01 रिक्त पद, सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के 268 रिक्त पदों तथा कार्यपर्यवेक्षक के 06 रिक्त पदों अर्थात कुल 751 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 01.11.2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इन पदों में से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर सहायक-सह स्वागतकर्ता व कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयन प्रक्रिया 02 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी व लिखित प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अर्हकारी (Qualifying) टंकण परीक्षा होगी।
- अभ्यर्थियों के चयन हेत् आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online mode में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लिखित तिथि अनुमानित है। परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दिये गये Mobile Phone Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. से ही मिलेंगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का Phone/Mobile Number व E-Mail ही भरें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी, अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना आदि के लिए आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in को समय-समय पर देखते रहें।

05. पदों का विवरणः— उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित / उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों / उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है। उत्तराखण्ड शासन के क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों / अध्यादेशों / नियमों / शासनादेशों में निर्धारित / नीति निर्देशों के अनुरूप अनारिक्षत / आरिक्षत रिक्तियों की संख्या में संशोधन / परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट / बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:—

A. पदनाम-

डाटा एण्ट्री ऑपरेटर

पदकोड-024 / 148 / 64 / 2024

कुल पद-03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

	पदनाम/			,	ė	तीतज आ	रक्षण के व	अन्तर्गत रिक्त	पदों की संख्या	
क्र0 सं0	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		अ०जा०	01	01	- -	_	_	_	_	
	डाटा एण्ट्री	अ0ज0जा0	-	-	_	_	_	_	-	
1	ऑपरेटर	अ०पि०व०	_		_	_	_	_	1	_
1.	(उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा	आ०क०व०	_	_	_	_	_	_	_	
3	चयन आयोग)		02	01		_	_		_	
		योग	03	02	_	_	-	_		

- (ii) वेतनमान:- रू० 29,200-रू० 92,300 (लेवल-05)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित / अस्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-
- (a) अनिवार्य अर्हताः-
- (1) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो।
- (2) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम ४००० की—डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति एवं एम० एस० ऑफिस (M.S.Office) का ज्ञान।
- (b) अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—
 - (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
 - (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" एवं "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

June

कम्प्यूटर सहायक-सह स्वागतकर्ता

B. <u>पदनाम—</u> पदकोड—788 / 141 / 64 / 2024

कुल पद-03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

	पदनाम/				ė	तैतिज आ	रक्षण के व	अन्तर्गत रिक्त	पदों की संख्या	
क्र0 सं0	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		अ0जा0	01	_	_	_	,-	_	-	
	कम्प्यूटर सहायक–सह	अ0ज0जा0	_	_	_	_	_	_	-	
	स्वागतकर्ता	अ०पि०व०	_	_	_	_	_	-	_	-
1.	(राज्यपाल	आ०क०व०	01	-	_	_		_	_	
	सचिवालय,	अना0	01	_	_	<u> </u>	_	_	_	
	उत्तराखण्ड)	योग	03	_	_	_	_	_	_	

(ii) वेतनमान:- रू० 25,500-रू० 81,100 (लेवल-04)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हताः-

- (1) इण्टरमीडिएट की अर्हता के साथ कम्प्यूटर में एम०एस० ऑफिस का ज्ञान आवश्यक होगा तथा हिन्दी टंकण में 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति की न्यूनतम अर्हता धारण की जानी होगी।
- (b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—
 - (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या भूतपूर्व सैनिक हो, या
 - (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

C. पदनाम-

कनिष्ठ सहायक

कुल पद-162

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:--

		पदनाम	VI			क्षैति	तेज आर	क्षण के	अन्तर्गत रिव	त्त पदों की संख्या	1
क्र0 सं0	पद कोड	/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			अ0जा0	31	11	_	01	01	01	03	02 (LV/PB, B)
	671/	कनिष्ठ	अ0ज0जा0	07	02	-	_	_	_	01	01 (HH/PD, D) 01 (OA, OL,BL,
	220/	सहायक (खण्डीय)	अ०पि०व०	_	_	_	_	_	_	_	LC, DW,
1.	64/	(सिंचाई	आ०क०व०	13	03	_	01	01	01	01	AAV/AV) 01 (MDY/MW,
	2024	विभाग, उत्तराखण्ड)	अना0	79	23	02	04	04	03	08	Th)
4		ottities)	योग	130	39	02	06	06	05	13	05

3 | Page

James

			अ0जा0	08	02	_	_	_	_	01	
	671/	कनिष्ठ	अ0ज0जा0	01	_	_	_	_	_	_	
_	220/	सहायक (मण्डलीय)	अ०पि०व०	05	01	_	_	_	_	_	(1)//DD D)
2.	64/	(सिंचाई	आ०क०व०	03	_	_	-	-	-	_	(LV/PB, B)
	2024	विभाग, उत्तराखण्ड)	अना0	15	06	_	01	01	01	02	
		ottrud of	योग	32	09	_	01	01	01	03	01
		कुल योग		162	48	02	07	07	06	16	06

(ii) वेतनमानः-

रू० 21,700-रू० 69,100 (लेवल-03)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-
- (a) अनिवार्य अर्हता:-
- (1) अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट, अथवा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
- (2) हिन्दी (देवनागिरी लिपि) में टंकण की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है।

(b) अधिमानी अर्हताएं:-

- (1) अंग्रेजी टंकण और/अथवा कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान।
- (2) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

D. पदनाम-

कनिष्ठ सहायक

कुल पद-42

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेतिज आरक्षण की स्थिति:-

		पदनाम/					ज आरक्ष	तण के ३	अन्तर्गत रिक्त	त पदों की संख्या	
क्र0 सं0	पद कोड	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		कनिष्ट	अ0जा0	08	02	_	_	_	_	_	
	449/	सहायक	अ०ज०जा०	02	_	_	_	_	_		
1	220/	(राजकीय पालीटेक्निक	अ०पि०व०	_	_	_	_	_			_
1.	64/	पालाटाक्नक संस्थाओं हेतु)	आ०क०व०	16	04	_	_	_	_	01	
	2024	(प्राविधिक	अना0	14	04	_	-	-	_	01	
		शिक्षा विभाग)	योग	40	10	_	_	-	_	02	-
		कनिष्ठ	अ0जा0	_	_	-	_	_	_		
	448/	कानष्ठ सहायक	अ०ज०जा०	-	_	_	_	_	_	_	,
2.	220/	(निदेशालय	अ०पि०व०	-	_	-	-	_	_	_	_
2.	64/ हेतु) आ०क०			01	<u>~</u>		_	(amounts)		_	
	2024	(प्राविधिक	अना0	01	_	-	_	_	_	_	
	शिक्षा विभाग) योग				_	_	_	_	_	_ *	_
		कुल योग		42	10					02	

4 | Page

https://www.freshersnow.com/

- (ii) वेतनमान:- रू० 21,700-रू० 69,100 (लेवल-03)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित / अस्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड / उ०प्र० की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
 - (2) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम ४००० की-डिप्रेशन प्रति घंटे की गति।
- (b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने:—
 - (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
 - (2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

E. पदनाम-

कनिष्ठ सहायक

कुल पद- 10

रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

		पदनाम/		_			तेज आर	भण के व	अन्तर्गत रिक्त	न पदों का विवरण											
क्र0 सं0	पद कोड	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
			अ0जा0																		
	822/	कनिष्ठ सहायक	अ०ज०जा०	-		-			-												
	220/	(उत्तराखण्ड	अ०पि०व०					-	<u> </u>												
1	64/	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,	आ०क०व०			1		-	_												
	2024	नैनीताल)	अना0	02	01	TE															
			योग	02	01	-	-	-													
	The state of		अ0जा0	1,4-5						Sant Land	Ty ii										
	872 /	(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,	(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,	(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,	अ0ज0जा0			=	-	-											
	220/				(जिला विधिक	(जिला विधिक	अ०पि०व०	-	-	1-					-						
2					आ०क०व०			-			-										
	2024				अल्मोड़ा)	अल्मोड़ा)	अल्माङा)	अल्मोड़ा)	अल्मोड़ा)	अल्मोड़ा)	अल्मोड़ा)	अल्मोड़ा)	अना0	01		T-		-	- 1		
			योग	01		<u> </u>					-										
			अ0जा0	+																	
	874 /	/ कानष्ठ सहायक_	/कानष्ठ सहायक_	कानष्ठ सहायक	(जिला विधिक	कानष्ठ सहायक-	कानष्ट सहायक_	कानष्ठ सहायक_ (जिला विधिक	/ जिला विधिक	कानष्ठ सहायक_ (जिला विधिक	(जिला विधिक	जिला विधिक	अ०ज०जा०					_			
	220/												(जिला विधिक	/ (जिला विधिक	2000 Date 180	(जिला विधिक	अ०पि०व०	230		1-1	
3	64 / सेवा प्राधिकरप		आ०क०व०		-	E		_													
	2024	चमोली)	अना0	01		-			-	_											
			योग	01		-	-	1 =	_		-										

Amy

पाप 01											T	
81 / विशेष्ण सहिष्य सहायक विशेष के अविशेषक विशेषक विष्य विशेषक विष्य विशेषक विशेषक विष्य विशेषक विशेषक विषय विशेषक विशेषक विशेषक विशेषक विषय विशेषक वि				अ0जा0	_	_	-	_	_	_	_	
4		979 /	क्रनिष्ट यहागळ	अ०ज०जा०	-	_	_	_	_	_	_	
4 64/ सेवा प्राधिकरण, 2024 नैनीताल) आगा0 01				अ०पि०व०	_	_	_		_		_	-
881 / किला विविक्त सहायक अवजाव	4	64/	सेवा प्राधिकरण,	आ०क०व०	_	_	_	_	_	-	_	
5		2024	नेनीताल)	अना0	01	_	_	_	-	_	_	
881 / किनार सहायक अजिजा — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				योग	01	· -	_	_	-	_	_	
881 / कानेख सहायक 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 30000000 300000000				अ0जा0	-	e 	_	_	_	-	_	
5 220 / 64 / सेवा प्राधिकरण, 2024 अ००००००		881 /	कनिष्ट सहाराक	अ0ज0जा0	_	_	_	_	_	-	_	
84	_			अ०पि०व०	-	_	_	_	- ,	-	_	
883 / किनेष्ठ सहायक विवाद समाधान (एउडी०आर०) 2024 30000010	5	500	सेवा प्राधिकरण,	आ०क०व०	_	_	_	_	_	-	_	
883 / 220 / 64 / 220 / 64 / 2024 कानेष्ठ सहायक (जिला विधिक (जिला विधिक (जिला विधिक) अवावकाव) — — — — — — — — — — — — — — — — — —		2024	रूद्रप्रयाग)	अना0	01	_	_	_	_		-	
883 / 220				योग	01	_	_	_	_	_	_	
683 220 320 330				अ0जा0	_	_		_	_		_	
10 10 10 10 10 10 10 10		993 /		अ०ज०जा०	_	_	_	_	_		_	
84 2024 जिल्ला क्षिण्य सहायक किनिष्ठ सहायक किनिष्ठ सहायक (वित्यक विवाद समाधान किनेष्ठ सहायक किनेष्ठ सहायक किनेष्ठ सहायक (वित्यक किनेष्ठ सहायक किनेष्ठ सहायक (वैक्रिक्षक किनेष्ठ सहायक किनेष्ठ सहायक किनेष्ठ सहायक (वैक्रिक्षक किनेष्ठ सहायक किनेष्ठ सहायक किनेष्ठ सहायक किनेष्ठ सहायक किनेष्ठ सहायक (वैक्रिक्षक किनेष्ठ सहायक किनेष्ठ सिंपिक किनेष्य सिंपिक किनेष्ठ	_	000 /		अ०पि०व०	_	_	_	_	_	-	_	
2024 नगर) अना० 01 - - - - - - - -	. 6	64/		आ०क०व०	_	, –	_	_	_	_	_	
884 किनिष्ठ सहायक विधिक अ०जा० - - - - - - -		2024		अना0	01	_	_		_	_	_	
884 किनिष्ठ सहायक 30000000				योग	01	_		_	_	_		
884 कानिस्ट सहायक अविविव अविवाद समाधान (ए०डी०आर०) केन्द्र, हरिद्वार) 9			-	अ0जा0	_	_	_		_	_	_	
7 64 सेवा प्राधिकरण, वित्तरकाशी 300व0व0 - - - - -		884 /	कनिष्ट सहाराक	अ०ज०जा०	-	_	_		_	_	_	
8	_			अ०पि०व०	_	_	_	_	_	_	_	
898 अना० 01 - - - - - - - -	′			आ०क०व०	-	_	_	_	_	_		
898 / 898 / 220 / 64 / 2204 किनिष्ठ सहायक (वैकल्पिक विवाद समाधान (एउडी०आर०) केन्द्र, हिरिद्वार) अगा० 01		2024	उत्तरकाशा)	अना0	01	-	_		_	_	_	
898 / 220 / 8				योग	01	_	_	_	_		-	-
8				अ०जा०	_	-	_	_	_	_	_	
8 220 / विवाद समाधान (ए०डी०आर०) केन्द्र, हरिद्वार) अना० 01		808 /		अ0ज0जा0	_	_	_	_	_	_	_	
8 64/ 2024 (ए०डी०आर०) केन्द्र, हरिद्वार) आ०क०व० — — — — — — — — — — — — — — — — — —				अ०पि०व०	_		_		_	_		
2024 केन्द्र, हिरिद्वार) अना0 01	8	64/	(ए०डी०आर०)	आ०क०व०	_	_	_	-	_	_	_	
900 / किनिष्ठ सहायक (वैकल्पिक विवाद समाधान (ए०डी०आर०) 2024 केन्द्र, उत्तरकाशी) योग 01		2024		अना0	01	. –		_	_	_		
900 / (वैकल्पिक सहायक (वैकल्पिक विवाद समाधान (ए०डी०आर०) अ०ज०जा० — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				योग	01	_	_	_	_	_	_	
900 / (वैकल्पिक अ०५००५।० — — — — — — — — — — — — — — — — — — —					_	_		_	_		_	
9 220 / विवाद समाधान अ०पि०व० — — — — — — — — — — — — — — — — — —		900 /		अ0ज0जा0	_	_	_		_		_	
9 64 / (ए०डी०आर०) केन्द्र, उत्तरकाशी) योग 01				अ०पि०व०	_	_	_	_	_	_	_ ′	_
उत्तरकाशी) योग 01 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	9	64/	(ए०डी०आर०)		_	_	_	_	_	_		
योग 01		2024		अना0	01	_	_	_	_	_	_	
कल योग 10 01		योग			01	_	_	_	_	_	_	<u>-</u>
9		कुल योग				01	_	_	_	_	_	_

And I

- (ii) वेतनमान:- रू० 21,700-रू० 69,100 (लेवल-03)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
 - (2) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम ४००० की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए।

(b) अधिमानी अर्हताएं:-

- (1) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की—िडप्रेशन प्रति घण्टा की गति रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा।
 - (2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
 - (3) राष्ट्रीय कैंडेट कोर का ''सी'' अथवा "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

F. पदनाम-

कनिष्ठ सहायक

पदकोड-428/220/64/2024

कुल पद-06

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

	पदनाम/			11	1	क्षैतिज अ	ारक्षण के	अन्तर्गत रिक्त	पदों की संख्या	
क्र0 सं0	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन कें चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कनिष्ठ	अ0जा0	-	_	-	_	_		_	
	सहायक	अ०ज०जा०	_	_	_	-	-	_	_	
	(कारागार	अ०पि०व०	02	_		_	_	_	*****	_
1.	प्रशासन एवं सुधार सेवा	आ०क०व०	01		_	. –	_	-	_	
	विभाग,	अना0	03	01	_		-	_		
	उत्तराखण्ड)	योग	06	01	_	-	_	_	_	_

- (ii) वेतनमान:- रू० 21,700-रू० 69,100 (लेवल-03)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित्/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हताः-

- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है और देवनागिरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान हो।
 - (2) हिन्दी टंकण में कम्प्यूटर पर न्यूनतम ४००० की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।

Segue

(b) अधिमानी अर्हताएं:-

- (1) अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।
- (2) कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो।

G. पदनाम-

कनिष्ठ सहायक

पदकोड-458/220/64/2024

कुल पद-05

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

	पदनाम/		_			क्षैतिज अ	गरक्षण के	अन्तर्गत रिक्त	पदों की संख्या	
क्र0 सं0	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		अ0जा0	02	01	_	-	_	_	-	
	कनिष्ठ	अ0ज0जा0	_	_	_	_	_	_	_	
1	सहायक	अ०पि०व०	_	_	_	_	_	_	_	_
1.	(शहरी विकास विभाग,	आ०क०व०	-	_	_	_	_	_	_	
	उत्तराखण्ड)	अना0	03	01	_	_	_	-	- ,	
		योग	05	02		_	_	_		

- (ii) वेतनमान:- रू० 21,700-रू० 69,100 (लेवल-03)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) <u>शैक्षिक अर्हताः</u>—
- (a) अनिवार्य अर्हताः-
- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश / विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान और कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण में 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति आवश्यक है।
- (b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने:—
 - (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
 - (2) राष्ट्रीय कैंडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

2000

कनिष्ठ सहायक

पदकोड-832/220/64/2024

कुल पद-03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

	पदनाम/				ĝ	तिज आर	क्षण के अ	न्तर्गत रिक्त	पदों की संख्या	
क्र0 सं0	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		अ०जा०	01	_	_	.—	_	_	_	
	कनिष्ठ	अ०ज०जा०	_	_	_	_	_			
	सहायक	अ०पि०व०	01	_	_	_	_	-		-
1.	(विधि विज्ञान प्रयोगशाल,	आ०क०व०	_	_	_	_	_		_	
	उत्तराखण्ड)	अना0	01	_	_	_	_	-	_	
		योग	03		_	_		_		

(ii) वेतनमान:- रू० 21,700-रू० 69,100 (लेवल-03)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो और देवनागिरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान हो।
 - (2) कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण में न्यूनतम ४००० की-डिप्रेशन प्रति घण्टा।
- (b) अधिमानी अर्हताएं:-
 - (1) अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।
 - (2) कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो।

पदनाम—

कनिष्ठ सहायक

पदकोड-762 / 220 / 64 / 2024

कुल पद-02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

	पदनाम/		_			क्षैतिज अ	ारक्षण के	अन्तर्गत रिक्त	पदों की संख्या	
क्र0 सं0	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कनिष्ठ	अ0जा0	01	_	-	_	_	_		
	सहायक	अ०ज०जा०	_	_	_	_	_	_		
	(महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स	अ०पि०व०	_	_	_	_	_			_
1.	कॉलेज	आ०क०व०	_	_	_	_	_		-	
	सोसाइटी,	अना0	01		_	_	_	_	_	
	रायपुर, देहरादून)	योग	02	_	_	_	_	_	_	_

- (ii) वेतनमान:- रू० 21,700-रू० 69,100 (लेवल-03)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित / अस्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा।
 - (2) हिन्दी टंकण में कम्प्यूटर पर 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टे की न्यूनतम गति रखता हो।
- (b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में उस अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:—
 - (1) अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।
 - (2) किसी संस्थान में पद के अनुरूप कार्य करने का अनुभव।
 - (3) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
 - (4) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या
 - (5) एन०एस०एस० का "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

J. पदनाम—

कनिष्ठ सहायक / डाटा एण्ट्री ऑपरेटर

कुल पद- 232

रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

						क्षेति	तेज आर	प्तण के	अन्तर्गत रिक्त	ा पदों का विवरण	
क्र0 सं0	पद कोड	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			अ०जा०	19	06	-	01	01	01	02	02 (LV/PB, B)
	769/	कनिष्ट	अ०ज०जा०	04	01	-	_			<u> </u>	01(HH/PD,D)
	220/	शिक्षा कमार्स्	अ०पि०व०	13	04		01	01	01	01	02 (OA,OL, BL, LC, DW,
1	0.1		आ०क०व०	09	03			_		01	AAV/AV,
	2024		अना0	52	15	01	03	03	02	05	DY/MW)
	100		योग	97	29	01	05	05	04	09	04
		कनिष्ठ	अ०जा०	_			-	-			
	769/		अ०ज०जा०	13	04		01	01	01	01	01 (LV/PB)
	220/	सहायक	अ०पि०व०	02	01			-			01 (LV/PB) - 01 (HH/PD)
2	64 /	(प्रारम्भिक	आ०क०व०	05	02		_	-		01	
	2024	शिक्षा, गढ़वाल	अना0	30	09	01	02	02	01	03	
		मण्डल)	योग	50	16	01	03	03	02	05	02
		कनिष्ट	अ0जा0	02	-				-		
	438/	सहायक	अ०ज०जा०	-	-						7 2 3 2
	220/	(मुख्य नगर	अ०पि०व०	02		-	_	-	- H		
. 3	64/	एवं ग्राम	आ०क०व०	01	_	_	1-		-		
	2024		अना0	10	03	V	-			01	
	100	विभाग)	योग	15	03	-				01	-

Jeon

			310,210		T		_				
			अ०जा०	_			_				
	159/	कनिष्ट	अ०ज०जा० अ०पि०व०								
4	220/	सहायक (जिलाधिकारी ,		-	_	_	_	_	_		_
	64 / 2024	(जिलाविकारा, पिथौरागढ़)	आ0क0व0 अना0	03		_	_	_			
	2024	1491(114)	योग	09					_	_	_
		-, -,	अ०जा०	02	01	_	_	_	_		
		-	अ0ज0जा0	-	-		_	_	_	_	
	406/	कनिष्ट सहायक	अ०पि०व०	04	01	_		_	_	_	_
5	220 / 64 /	(उद्योग	आ०क०व०	_	-			_		_	
	2024	विभाग)	अना०	03	01	_	01	01	_	_	
		,	योग	09	03	_	01	01	_	_	_
			अ0जा0	02	_	_	_	_	_		
	442 /	कनिष्ट	अ0ज0जा0	_	_	_	_	_	_		
*	412 / 220 /	सहायक	अ०पि०व०	01	-	_		_	_	_	_
6	64/	(होम्योपैथिक	आ०क०व०	01	_	_	_	_	× <u></u>	_	
	2024	चिकित्सा सेवायें)	अना0	_	_	_	_	_	_	_	
		सवाय)	योग	04	_	_	_	_	_	_	
			अ०जा०	02	01	_	_	_	_	_	4
	105/	कनिष्ट	अ०ज०जा०		_	_	_	_	_	_	
_	220/	सहायक	अ०पि०व०	01	_	_	_	_		_	=
7	64/	(जिला पूर्ति अधिकारी	आ०क०व०	01	-	-	_	_	_	_	
	2024	4 देहरादून)	अना0	04	01		_	_	_	_	- P
		==	योग	08	02	_	_	_	_	_	-
		कनिष्ठ	अ०जा०	02	01	_		_	_	_	
	162/	सहायक /	अ०ज०जा०	_	_	_		_	_	_	
	221/	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	अ०पि०व०	01	_	_		_	_	_	_
8	64/	(आपूर्ति शाखा)	आ०क०व०	_	_				_	_	
	2024	(जिलाधिकारी,	अना0	05	02			_	_	_	
		ऊधमसिंह नगर)	योग	08	03	_	_	_		-	_
			अ0जा0	01	_	_	-	_	_	_	
	100 /	कनिष्ठ	अ०ज०जा०	_	_	_	i -	_	_	_	
	162 / 220 /	सहायक	अ०पि०व०	_	_	_	_	_	_	_	
9	64/	(जिलाधिकारी, ऊधमसिंह	आ०क०व०	01	_	_	_	_	_	_	
	2024	नगर)	अना0	05	02	-	_	_	_	01	
			योग	07	02	_	_	_	_	01	
			अ0जा0	01		-	_	-	_	_	
-	422 /	कनिष्ट	अ0ज0जा0	-	_	_	_	-]
	64/	सहायक	अ०पि०व०	01	_	_	_	_	_	_	_
10		(भूतत्व एवं खनिकर्म	आ०क०व०	_	_	_	_	_	_	_	
	2024	। १वानकम ।	अना0	04	_	_	_	_	_		
1			योग	06	_	_	_	_	_	_	_

Lynn

11 202 सहायक 3000000 01		Т	T	अ0जा0	01			_	_	_	_	
11 220 / (कार्याचाण्ड) 300			कनिष्ट				_	_		_	_	
10 2024 प्रामोधीय वर्ध वर्			सहायक					_		_	_	1_
2024 प्रामोधोग वार्ष शिक्ष प्राप्त विभाग जिल्ला कार्माय विभाग विभ	11										_	
स्वाध कि निष्ठ सहायक किनेष्ठ सिक्क किनेष्ठ			ग्रामोद्योग						_	_	_	
12 220 / 64 / 2024 विभाग 300ज0जा0 - - - - - - - -			बोर्ड)					_	_	_	_	_
12 220 / (वेरी विकास विमाग) 36 02						-		_	_		_	
12 224 कानाव्य 300िवव 02			,		-	_			_		<u> </u>	
12			VO X X					_		_	_	_
2024 विमाग	12				-					-	_	
प्राप्त 13 14 15 15 15 15 15 15 15		1	विभाग)						_		_	
13 744 / 200 744 / 2024 13 200 200 10 10 10 10 10									_	_	_	
14 13 220 / (कार्यालय रिजेस्ट्रार कार्यालय रिजेस्ट्रार कर्म सहायक (कार्यालय रिजेस्ट्रार फर्म सहायक (स्वेद्ध स्वेद्ध स्व									_		_	
14 20							_	_	_	_	_	
13 220								I —	_		_	_
2024 सोसाइटीज एवं विदस) अना0 02 01	13	1	रजिस्ट्रार					/	_		_	
एवं चिद्स) योग 04 01			फर्म्स 4 सोसाइटीज						_		_	
14 056 / 220 / 64 / 220 / 64 / 2024 80 / 2024										_	_	_
14 056 / 220 / 64 / 220 / 64 / 2024 30000000	-							_	-	_	_	
14 14 220			क जिल्ह					_	-	_	_	1
14 220								_	_		_	_
152 मण्डल अना0 - - - - - - - - -	14		(आयुक्त				_	_	_			
योग 02			कुमाऊँ मण्डल)					_	_	_	_	
15 643 / 220 / 64 / 2024 किनिष्ठ सहायक (निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड) 310 जिलाधिकारी वागेश्वर) 152 / 64 / 2024 152 / 64 / 2024 16 16 / 2024 17 / 2024 17 / 2024 18 / 2024			11-901)			<u> </u>	_	_	_	_	_	_
15 643 202 किनिष्ठ सहायक (निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड) 3000000	-				-	_	_	_	-	_	_	
15 20 / 64 / 2024 सहायक (निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड) अगि०व० 01 - - - - - - - - -			क्रिक्ट			_	_	_	_	_	_	
15 220 (निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड) अग0					-	_	_	_	_	_	_	1 -
2024 प्राचाराचा, उत्तराखण्ड) अना०	15					_	<u> </u>	_	_	-	_	
152 / 200 / 64 / 2024 कानेष्ठ सहायक (जिलाधिकारी बागेश्वर) आ0ज00		1					1 -	-	_	_	_	
152 / 220 / 220 / 64 / 2024 अ0जा0 — </td <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>1_</td> <td>_</td> <td></td> <td>_</td> <td>_</td>			0				_	1_	_		_	_
152 किन्छ सहायक अ0ज0जा0 - - - - - - - - -	-	-				_	_	-	-		_	
16 152 / कान्छ सहायक 220 / 64 / (जिलाधिकारी 2024) अा०क०व० 01 - - - - - 300प0व० - - - - - - 300प0व० - - - - - - 300प0व० - - - - - - - 300प0व० - - - - - - - - - - - - - - - - - - - </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>1 -</td> <td>_</td> <td> </td> <td>_</td> <td>_</td> <td></td>						_	1 -	_	 	_	_	
16 2207 64 / 2024 (जिलाधिकारी बागेश्वर) अना0 — योग 01 — — —		16 220 / 64 /			-	÷ _	1 -	T -	-	-	_	_
2024 बागेश्वर) अना0 - - - - - - -	16					_	-	_	T -	T -	_	
योग 01						_	—	 	_			
			1		01	_	_	_	_	_	_	_
MINI MINI LOCAL DE LA CALLACTA DEL CALLACTA DE LA CALLACTA DEL CALLACTA DE LA CAL		कुल योग—			232	63	02	09	09	06	16	06

Lynn

- (ii) वेतनमान:- रू० 21,700-रू० 69,100 (लेवल-03)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित / स्थाई / अस्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हताः—

(a) अनिवार्य अर्हता:-

- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश / उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (2) डाटा एण्ट्री ऑपरेटर / किनष्ठ सहायक पद के लिए कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण प्रति घण्टा 4000 की—डिप्रेशन (Key Depression) की न्यूनतम गति।
- (b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने:—
 - (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
 - (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,
 - (3) स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

K. पदनाम-

स्वागती

पदकोड-655 / 645 / 64 / 2024

कुल पद-05

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

	पदनाम/		0	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या								
क्र0 सं0	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0	अ0जा0	01	_	_	_	_	_	-			
ľ	स्वागती	अ0ज0जा0	-	_	_	_	_	_	_			
1	(राज्य सम्पत्ति	अ०पि०व०	01	_	_	_	_		-	_		
1.	सम्पारत विभाग,	आ०क०व०	_	_	_	_	_	_				
	उत्तराखण्ड)	अना0	03	01	-	_	_	_	_			
	J. (14-0)	योग	05	01	-	-	_	_		_		

- (ii) वेतनमान:- रू० 21,700-रू० 69,100 (लेवल-03)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित / स्थाई / अस्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-
- (a) अनिवार्य अर्हताः-

विद्यालयी शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जो किसी सरकारी या निजी अधिष्ठान में स्वागती या स्टोर कीपर के रूप में कार्य करने का अनुभव एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान रखता हो।

- (b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने:—
 - (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
 - (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

L. पदनाम-

कनिष्ठ सहायक

पदकोड-760 / 220 / 64 / 2024

कुल पद-03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

	पदनाम/		A		ė	तिज आ	रक्षण के व	अन्तर्गत रिक्त	पदों की संख्या	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या								
क्र0 सं0	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
	कनिष्ठ सहायक (महाधिवक् ता,	अ0जा0 0		_	_	_	_		_									
		अ०ज०जा०	_	_	_	_	Vi	_										
4		अ०पि०व०	_		2 2	_	-	_	_									
1.	मा० उच्च	आ०क०व०	01	_	-	_	V	-										
	न्यायालय, नैनीताल)	अना0	01	01		_		_										
	नगताल)	योग	03	01	_	_	_	_		_								

- (ii) वेतनमान:- रू० 19,900-रू० 63,200 (लेवल-02)
- (iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-
- (a) अनिवार्य अर्हता:-
- (1) उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण/हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की—डिप्रेशन प्रति घंटे होना चाहिए।
- (b) अधिमानी अर्हताएं:-
 - (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
 - (2) राष्ट्रीय कैंडेट कोर का ''सी'' अथवा "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

James

M. पदनाम-

पदकोड-671/279/64/2024

कुल पद-268

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

	पदनाम/					क्षैतिज व	आरक्षण व	के अन्तर्गत रि	क्त पदों की संख्या	
क्र0 सं0	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		अ0जा0	70	21	01	03	03	02	07	03 (LV/PB)
	मेट	अ0ज0जा0	16	04	-	_		-	01	03 (HH/PD) 02 (OA, OL,
1.	(सिंचाई	अ०पि०व०	12	03		-	-		01	OAL, BL,
	विभाग,	आ०क०व०	26	07		01	01	01	02	LC, DW, AAV/AV)
	उत्तराखण्ड)	अना0	144	45	04	09	09	07	15	02 (HP)
		योग	268	80	05	13	13	10	26	10

मेट

(ii) वेतनमान:- रू० 19,900-रू० 63,200 (लेवल-02)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

अभ्यर्थी ने उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

- (b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने:—
 - (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
 - (2) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

N. पदनाम-

कार्यपर्यवेक्षक

पदकोड–671 / 232 / 64 / 2024

कुल पद-06

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

	पदनाम/			NIL 3	क्षे	तिज आर	क्षण के	अन्तर्गत रिक्त	ा पदों की संख्या	
क्रo संo	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		अ0जा0	01		1					- 111
	कार्यपर्यवेक्षक	अ०ज०जा०	-			-	-			
4	(सिंचाई	अ०पि०व०	_	-	2 = 1	_	_		_	
1.	विभाग,	आ०क०व०	-		-			-		
	उत्तराखण्ड)	अना0	05	01			H= 1		-	
		योग	06	01	-	-	17-21			

15 | Page

mose

- (ii) वेतनमान:- रू० 19,900-रू० 63,200 (लेवल-02)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-
- (a) अनिवार्य अर्हता:-

अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट, अथवा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।

- (b) अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने:—
 - (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
 - (2) नेशनल कैंडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

O. पदनाम-

आवास निरीक्षक

पदकोड-671 / 232 / 64 / 2024

कुल पद-01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

	पदनाम/			क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या								
क्र0 सं0	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	आवास निरीक्षक	अ0जा0	-	_	-	_	_	_	-			
		अ०ज०जा०	-	_	_	_	_	_				
4	(राज्य	अ०पि०व०	i—,	_	-	_	-	_		_		
1.	सम्पत्ति	आ०क०व०	_	_	_	_	. —	_				
	विभाग,	अना0	01	_	-	_	-	-	_	â		
	उत्तराखण्ड)	योग	01		-	_	_	_	_	_		

- (ii) वेतनमान:- रू० 19,900-रू० 63,200 (लेवल-02)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित / अस्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-
- (a) अनिवार्य अर्हता:-

विद्यालयी शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान रखता हो।

- (b) अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने:—
 - (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
 - (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

Jeanson

06. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया:-

- (i) उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) 02 घन्टे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट—01 का अवलोकन करें। सामान्य व ओ०बी०सी० श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।
- (ii) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।
- (iii) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) तीन प्रतियों (ट्रिप्लीकेट) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमित है। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है, तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी।
- (iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतू नियत किये गये अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।
- (v) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।
- (vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।
- (vii) ओ०एम०आर० शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना / कटिंग आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।
- (viii) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओ०एम०आर० शीट में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ०एम०आर० शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- (ix) ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न-पत्र व दिये गये उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये मॉनीटर/कम्प्यूटर/टैब पर ही प्राप्त होंगे।

Sporm

07. <u>अधिमानः</u>— लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर विष्ठता का निर्धारण होगा (आयु में विरष्ट अभ्यर्थी पहले तथा किनष्ट अभ्यर्थी बाद में आएगा), आयु के भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा तथा अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

०८. आयु:-

उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2024 है।

(क)—परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्याः 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्याः 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह—'ग' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्याः 6/1/72 कार्मिक—2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

09. <u>आवेदन हेतु पात्रता</u>:--

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य / वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक हैं:--

- (क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।
 - (ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास / स्थाई निवास प्रमाण-पत्र धारक हो।
- (ग) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतिरत नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह ''ग'' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(घ) शासन के पत्रांक—1097/xxx(2)/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—310/xxx(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं, सिम्मिलत हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापित्त प्रमाण—पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि, वह इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापित्त प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु अर्ह माना जाएगा।

(ड.) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14.08.2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

10. राष्ट्रीयताः-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :--

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तुं यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अविध के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अविध से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में उपरोक्तानुसार पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

Amer

11. चरित्र:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य—व्यवहार उचित नही पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जाएगी।

12. वैवाहिक प्रास्थिति:-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

13. शारीरिक स्वस्थता:-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

शासनादेश संख्याः 374(1)XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 02 नंवबर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में परिशिष्ट 2(च) में संलग्न है।

14. आरक्षण:-

- i. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।
- ii. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04%, अनाथ बच्चों हेतु 05%, कुशल खिलाड़ी के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
- iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक है, उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 01.11.2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023—24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु मान्य हो, को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Spring

- iv. उत्तराखण्ड की महिला अभ्यर्थियों को ऊर्ध्व श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है। उत्तराखण्ड की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- v. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी / उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- vi. ''भूतपूर्व सैनिक'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वाय सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो-(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सकीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्यत या सेवा मक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्यूटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं-(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति. और (तीन) शौर्य परस्कार पाने वाले। (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी / उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- vii. शासनादेश संख्या—310/xvII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण—पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अविध तक है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य होनी चाहिए।
- viii. भारत सरकार की कार्यालय ज्ञाप संख्या— 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो पहले से ही राज्य सरकार की समूह 'ग' और 'घ' की सेवा में कार्यरत है, वह राज्य सरकार के अधीन समूह'ग' और 'घ' में उच्चतर श्रेणी या संवर्ग में किसी अन्य सेवायोजन को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिक हेतु यथाविहित आयु शिथिलता का लाभ प्राप्त कर सकेगा, यघि ऐसा अभ्यर्थी राज्य सरकार की नौकरी में पूर्व सैनिक हेतु आरक्षण के लाभ के लिए अर्ह नहीं होगा।
 - ix. भारत सरकार के अधिसूचना संख्या(Notification N0). 36034/5/85-Estt.(SCT) दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 के अनुसार उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व किन्तु 01 वर्ष के अन्तर्गत आवेदन करने की दशा में उन्हें भूतपूर्व सैनिक हेतु निर्धारित आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

Jehny

- x. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।
- **xi.** "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र / पुत्री से अभिप्रेत है।
- xii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:—244/xxxvi(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 में उतराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा राज्य की राज्यधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।
- xiii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:—117/xxxvi(3)/2024/09(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षेतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 द्वारा 'कुशल खिलाड़ी' से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में हैं, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं हैं, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588 / एक—4 / सा.प्र. / 2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता / प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगाः—


क्र0 स0	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल—10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2	विश्वकप / विश्व चैम्पियनशिप / एशियन खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल–8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3	कॉमनवेल्थ खेल / एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल–7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल—6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों
5	राष्ट्रीय खेल / मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप / अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल / खेलों इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल–5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर



परन्तु यह कि राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़िओं के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

- xiv. कुशल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों (भारत सरकार अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जायेगी। तथा समान श्रेणी की वरीयता के क्रम से तात्पर्या अपनी श्रेणी से है।
- xv. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा तथा आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।
- नोट 1:— अभ्यर्थी पाठ्यकम हेतु परिशिष्ट—1 तथा आरक्षण से संबंधित प्रपत्र हेतु परिशिष्ट—2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ), 2(च) तथा दिव्यांगता की श्रेणियों से संबंधित प्रयुक्त संक्षिप्तियों के विवरण हेतु 2(छ) का अवलोकन करें। अभ्यर्थी उक्त परिशिष्टों में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार ही अपने प्रमाण—पत्र तैयार करवायें।
- नोट 2:— उपरोक्त पदों के चयन का विकल्प लिखित प्रतियोगी परीक्षा तथा टंकण परीक्षा समाप्ति के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।

15. ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के चरणः—



- i. अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ई—मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ई—मेल आईडी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है।
- ii. अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई—मेल आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द समझा जायेगा एवं यू०के०एस०एस०एस०सी० द्वारा भविष्य में करायी जाने वाली परीक्षाओं से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा।
- iii. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझा। जाएगा।
- iv. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉग—इन के लिए आवश्यक है।
- v. अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ का आयाम (150w×200H px) और हस्ताक्षर का आयाम (150w×100H px) को जे०पी०जी०/ जे०पी०ई०जी० प्रारूप में अपलोड करना होगा।
- vi. आवेदन—पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नैट बैंकिंग/यू०पी०आई० से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं

June

करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र / अथ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

- vii. तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें <u>chayanayog@gmail.com</u> पर ई—मेल करें।
- viii. अपरिहार्य कारणों से यदि एक उम्मीदवार द्वारा एक ही या ईमेल—आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक से अधिक सबिमट किए गए आवेदन भरें जाते है, तो उसके द्वारा भरा गया अन्तिम आवेदन मान्य होगा।
- ix. यदि अभ्यर्थी के आवेदन—पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण से असफल (Failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (Failed) हो जाता है, तो अभ्यर्थी का कटा हुआ शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जायेगा।
- x. अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा, जब तक की अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Status वाले कॉलम में Completed प्रिन्ट न लिखा हो।
- xi. निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ समझा जाएगा।
- xii. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।
- xiii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन—पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

16. शुल्क:--

अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क (रू०)
01	अनारक्षित (Unreserved) / उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	300.00
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC) / उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	150.00
03	उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)	150.00
04	अनाथ (ORPHAN)	00.00

Jung

17. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तो को पढ़े:--

- (1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण—पत्रों / संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।
- (2) अभ्यर्थी ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या:—79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532 / 2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें।
- (3) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण—पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है, साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग (FIR) भी दर्ज कराया जाएगा।
- (4) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनित्तम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश—पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (5) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Fried

- (6) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली—भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही—सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों / प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (7) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।
- (8)आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण–पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (9) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों / नियमावलियों / मैनुअल्स / मार्ग दर्शक सिद्धान्तों एवं समय समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी।
- (10) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जाएगा। नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- (11) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई—मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें तािक आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण—पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- (12) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश—पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- (13) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी / कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन / आपित्त ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अविध के उपरान्त प्राप्त आपित्तयों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपित्त प्राप्त नहीं होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।
- (14) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमित नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके

muse

हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

- (15) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता / शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (16) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम—2023 अधिनियमित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम—2023 समय—समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य में तैनात नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगाया गया है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

कोई भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैल्कुलेटर, पेजर, चिप, कम्प्यूटर को प्रभावित करने का कोई उपकरण इत्यादि) ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा। उक्त अधिनियम का उल्लघंन करने वाले पर उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम—2023 समय—समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(17) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए—

 अ0जा0
 —
 अनुसूचित जाित

 अ0ज0जा0
 —
 अनुसूचित जनजाित

 अ0पि0व0
 —
 अन्य पिछड़ा वर्ग

 अ0क0व0
 —
 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

 अना0
 —
 अनारिक्षित

(सुरेन्द्र सिंह रावत)

इण्टर स्तरीय (सामान्य प्रश्नपत्र), परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय-सामान्य हिंदी (भाषा एवं साहित्य)

1. भाषा एवं हिंदी भाषा : भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखण्ड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ (कुमाउनी, गढ़वाली, जौनसारी)।

2. लिपि एवं वर्णमाला : देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण-दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएँ।

स्वर एवं व्यंजन, हिंदी अंक।

3. हिंदी वर्तनी (स्पैलिंग) : विश्लेषण, शुद्ध-अशुद्ध, विराम चिह्न, हिंदी अंक।

4. शब्द संरचना : वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया-विशेषण, क्रिया; लिंग,

5. शब्द भंडार : तत्सम, तद्भव, देशज, आगत (भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द), एकार्थी अनेकार्थी, विपरीतार्थी (विलोम), पर्यायवाची।

6. संधि : स्वर संधि, व्यंजन संधि।

7. वाक्य परिचय : वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य-शुद्धि।

8. अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, (परिचय एवं वाक्य प्रयोग)

9. पत्र लेखन : टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी पत्र।

10. जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग : संचार (मीडिया) के विभिन्न माध्यम, समाचारपत्र—पत्रिकाएँ, रेडियो, टीवी (दूरदर्शन)।

11. हिंदी कंप्यूटिंग, फॉण्ट, टाइपिंग, पेज—लेआउट।

हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय

(उत्तराखण्ड राज्य एवं एनसीईआरटी की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार)

12. पद्य : कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी।

13. गद्य : राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीतांबर दत्त बड्थ्वाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहरश्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी।

भाग-2

सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन

भाग-2(क)-मानसिक योग्यता एवं तर्कशक्ति (Reasoning)

इस माग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उददेश्य विभिन्न नवीन परिस्थितियों को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने, तर्क करने की योग्यता तथा दीर्घकालिक स्मृति का मापन करना है। इस माग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जो बोह्यिक क्रियाओं, सामाजिक बुद्धि, गणितीय योग्यता, शाब्दिक एवं अशाब्दिक तार्किक शक्ति, मूर्त एवं अमूर्त तार्किक शक्ति, गुणात्मक एवं मात्रात्मक तार्किक शिवत, आरेखण, अनुवेशों को समझने तथा समानताओं व असंगतताओं का पता लगाने से सम्बन्धित हैं। जिसकी विषय वस्तु निम्नलिखित है।

अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण

- 1. दर्पण एवं जल प्रतिविम्ब
- 2. श्रृंखला :
- 3. सावृश्यता
- 4: वर्गीकरण
- 5. कागज मोड़ना
- 6. कागज काटना

- 7. आकृति निर्माण
- 8, आकृतियों की गिनतीं
- 9. सन्निहित आकृतियां
- 10.आकृतियों की पूर्ति
- 11.आकृति आव्यूह
- 12.समरूप आकृतियों का समूहीकरण

शाब्दिक मानसिक योग्यता प्रशिक्षण

- 1. वर्णमाला परीक्षण
- 2. कूटलेखन/कूटवाचन परीक्षण
- 3. भिन्नता की पहचान
- 4, सादृश्यता
- 5. श्रृंखला परीक्षण
- 6. क्रम व्यवस्था परीक्षण
- 7. विशा ज्ञान परीक्षण
- 8, अअंक एवं समय क्रम परीक्षण
- 9. निगमनात्मक पेरीक्षण
- 10. रक्त सम्बन्ध परीक्षण
- 11. गणितीय चिन्हों को कृतिम स्वरूप प्रवान करना
- 12. धारणा परीक्षण -
- 13. कथ़न एवं तर्क
- 14. वर्गीकरण
- 15. आलेख वेन डायग्राम

- 16, गणितीय संक्रियाएं.
- 17. आहव्यूह (भैट्रिक्स)
- 18. बैठक परीक्षण
- 19. आंकड़ों की पर्याप्तता
- 20. इनपुट आउटपुट पासवर्ड (कम्प्यूटर से सम्बन्धित)
- 21. संख्या एवं अवधि निर्धारण
- 22. केलेण्डर
- 23. कथन,निष्कर्ष एवं निर्णयन
- 24. न्याय निगमन
- 25. पहेली परीक्षण
- 26. समस्या समाधान
- 27. सामाजिक बुद्धि (नैतिक आचार-विचार)
- 28. शब्द निर्माण
- 29. लिपिकीय अभिक्षमता

https://www.freshersnow.com/

Fundamental of Computers Syllabus ...

Unit 1: Basic Concepts: Introduction to Computers, Classification and Generations of computers; Block Diagram of Computer, Hardware, Software, Firmware, Input devices, Memory and Storage Devices, Central Processing Unit, Output devices and Computer Ports, Software: System software and Application Software, Concept of Algorithm and Flowchart, Generations of Programming Languages.

Unit 2: Operating System

Concept of Operating System, Operating System : Open and Proprietary, Versions of Windows, Features of Windows Operating System, Windows Desktop, Booting, Shut Down and Standby options, Start Menu, Keyboard Shortcuts; Application Management using Control Panel, Installing and Uninstalling a software; System Tools; Disk Cleanup, Disk Fragmentation, Working with Windows Explorer; Basics of Linux

Unit 3: Software Packages Word Processing: Word processing concepts, Working with word document: Opening Closing and saving options, Editing text, Find and replace text, Language checking and thesauruses, Formatting, spell check, Autocorrect, Autotext; Bullets and numbering, Paragraph Formatting, Indent, Page Pornatting; Header and footer; Tables; Inserting and importing of tables, filling and formatting a table; Pictures and Video; Mail Merge; Printing documents; Keyboard Shortouts

Spreadsheet: Spreadsheet.concepts, Managing worksheets, Pormatting of Worksheets and Cells, Entering data, Editing; Printing a worksheet; Organizing Charts and graphs; Formulas and Functions: Handling operators in formula; generally used Spreadsheet functions: Mathematical, Statistical, Financial, Logical, Date and Times; Keyboard Shortcuts

Presentation Software: Introduction and creation of the presentation, Use of Templates; Adding new slide, Navigating across slides; Use of Master Slide, slide show, Saving and Opening of presentation, Text formatting options, Copy, Move, Delete slides, Applying designs, Using Animations, Slide Transitions, Insert clip art, Insert sound/movies, Viewing the presentation; Taking printout of presentation/Handouts; Keyboard Shortcuts.

Unit 4: Working with Internet

Basics of Computer Network and Internet, Working with Internet, ISP, Web Browsers, World Wide Web (WWW), Uniform Resource Locator (URL) and Domain Names, Uses of Internet, Concept of Search Engines, IP Address, Applications of Internet, Chatting, Video-Conferencing, Email: Manage an B-mail Account, B-mail Address, configure E-mail Account, log to an B-mail, Sending and Receiving e-mails, sending files as attachments, Address Book; Uploading/ Downloading Files, Net Etiquettes. Social impact of ICT in Education, health care and

Unit 5: Cyber Security Virus, Worms, Trojan and Anti-Virus software, Spyware, Malware, Spams, Data Backup and Recovery Tools, Indian IT ACT, Types of Cyber Crime, firewall, Cookies, Hackers and Crackers, Cyber Security Techniques: Authentication, Bncryption, Digital Signatures, Anti-Virus, Firewall, Steganography.

https://www.freshersnow.com/

भाग-2(ख)-इतिहास (भारत एवं विश्व)

सिन्धु घाटी सम्यता- नामकरण; सामाजिक व आर्थिक स्थिति; नगर योजना व भवन निर्माण। वैदिक सम्यता— पूर्व वैदिक काल; सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति; राजनीति, साहित्य व धर्म। <u>जनर वैदिक काल</u> सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन; साहित्य व धर्म। महाकाव्य काल- रामायण व महाभारत कालीन समाज व राजनीति। मीर्यकाल- मीर्यवंश की स्थापना; चन्द्रगुप्त मीर्य, अशोक व उसका धम्म; मीर्यकालीन प्रशासन, समाज व कला। नावकाण नाववरा का स्वाना, वार्याक नाव, जाराक व जुबाण संपर्क तथा उसके सांस्कृतिक प्रभाव; शुंग व आंध्र सातवाहन वंश। उत्तर मीर्य काल पारसी, यूनानी,शक व कुबाण संपर्क तथा उसके सांस्कृतिक प्रभाव; शुंग व आंध्र सातवाहन वंश। जन्म प्राप्त काल हर्षवर्धन; राजपूत शासक; चोल व पल्लव साम्राज्य; 500—1200 के मध्य भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं अरब व तुर्की आक्रमण— इस्लाम की स्थापना; मुहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी व गौरी के आक्रमण-सांस्कृतिक विकास एवं अन्य, पहलू। विल्ली सक्तनत- गुंलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद व लोदी वंश, प्रशासनं, समाज, साहित्य, कता व स्थापत्य, आर्थिक <u>बहुमनी व विजयनगर राज्य</u> मुख्य शासक व जनकी जपलिब्धयाँ, साहित्य, कला व संस्कृति पर प्रभाव। नीति, साम्राज्य विस्तार व अन्य नीतियाँ। मुगल काल- मुगल शासक व शेरशाह सूरी, मुगल प्रशासन व नीतियाँ- मनसबदारी व्यवस्था, धार्मिक व राजपूत नीति, म्स्ठा द सिख्न मराठा राज्य व इनके मुगलों से सम्बन्ध; सिख्न गुरू व इनके मुगलों के साथ सम्बन्ध।

यूरोपियों का भारत में आगमन पूर्तगाली, डच व फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी-(1757-1868)-भारत में साम्राज्य विस्तार; आर्थिक नीति व उसके प्रभाव; प्रशासनिक नीतियाँ; गवर्नर व गवर्नर जनरतः; चार्टरे एक्ट व अन्य एक्टः सामाजिक सुधार।

<u>ब्रिटिश शासन (1858—1947)</u> 1867 का विद्रोह, कारण, मुख्य घटनाएँ व प्रभाव। , द्रायस्राय वं उनकी. नीतियाँ। भारतीय समाज में सामाजिक व धार्मिक सुधार आन्दोलन।

भारत में राष्ट्रवाद का विकास-

क्षाइतीय राष्ट्रवाद के विकास के कारण। , आद्रतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना; उदारवादी व अतिवादी दल।

बंगाल का विभाजन, स्ववेशी आन्दोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन(1907), मार्ल

प्रथम विश्वयुद्ध और राष्ट्रीय आन्दोलन होमरुल आन्दोलन, लखनऊ समझौता(1918), 1817 की अगस्त घोषणा, गांधी युग, भारत एवं विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम(1919), रेलेट अधिनियम(1919), जिल्याँवालाबाग नरसंहार(13 अप्रैल 1918), खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौराचौरी की घटना, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिल्ला के 14 सूत्र, कांग्रेस का लाहों र अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन. प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्विवीय व तृतीय गोलमेरन सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड व पूना समझौता।

भारत सरकार अधिनियम(1836)—पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आन्दोलन, कैबिनेट मिशन, आ हिन्द फ़ौज, अन्तिएम सरकार, माउन्टबेटेन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम(1947), भारत का विभाजन, आजार्द बाद के भारत की मुख्य घटनाएँ।

विश्व का इतिहास यूरोप में पुनर्ज़ागरण व उससे सम्बन्धित मुख्य साहित्यकारों, कलाकारों व वैज्ञानिकों का योगवान। ग्रिटेन के राजवंश— हेनरी अन्दम, एलिजावेथ, जेम्स द्वितीय तथा विक्टोरिया के समय की मुख्य घटनाएँ। फ्रांसीसी क्रान्ति। अमरीका का स्वतंत्रता संग्राम। फ्रसी क्रान्ति। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्धों के मुख्य कारण।

भाग-2(ग)-भूगोल (भारत एवं विश्व)

विश्व का भूगोल :— विविध शाखाएं, सौर मण्डल की उत्पत्ति, अक्षांश—देशान्तर, समय, पृथ्वी की गतियाँ, परिध्रमण, ग्रहण् महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पति, उत्धावच्च, पर्वत, पठार, भैवान, झील, चट्ट्रम्न, प्रवाह तन्त्र, जलमण्डल : समुद्री महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति, उत्धावच्च, पर्वत, पठार, भैवान, झील, चट्ट्रम्न, प्रवाह तन्त्र, जलमण्डल : समुद्री वाराएं, ज्वार भादा, वायुमण्डल की परतें, संरचना, तापमान, हवाएं, चक्रवात, आर्द्रता, कृषि, ववणाता, समुद्री वाराएं, जनसंख्या, प्रवास, प्रजावियां एवं जनजातियां, परिवहन, वैश्विक तापन, पशुपालन, उर्जा एवं खनिज समूह) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। व्यापार (क्षेत्रीय आर्थिक समूह) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। चारा का भूगोलः :— भौगोलिक परिचय, उच्चावच्च एवं संरचना, जलवायु, प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, मारत का भूगोलः :— भौगोलिक परिचय, उच्चावच्च एवं संरचना, जलवायु, प्रवाह प्रणाली, फर्जा संसाधन, जनसंख्य मिद्टी, एवं जल संसाधन, सिंचाई, बहुउव्वेशीय नदी घाटी परियोजना, कृषि : फर्सलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्य मिद्टी, एवं जल संसाधन, प्रवास, परिवहन, संचार, विवेध व्यापार, अधिवास, जनजाति, पर्यावरणीय संकट : हवा, पानी, एवं जगरीकरण, जलवायु परिवर्तन : कारण एवं प्रभाव।

- Lagerlio

भाग-2(घ)-राजनीति विज्ञान

- (1) राष्ट्रीय आंन्दोलन
 - (अ) राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण
 - (1) भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान
 - (क) राजा राममोहन राय एवं ब्रह्मसमाज
 - (ख) महर्षि दगानन्द सरस्वती एवं आर्य समाज
 - (ग) स्वामी विवेकानन्द एवं राम कृष्ण मिशन
 - (ii) भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ
 - (iii) संन् 1857 का भारतीय स्वतंत्रता—संग्राम
 - (10) मारत में छापेखाने का प्रारम्भ
 - (v) भारत का आर्थिक शोषण
 - (vi) भारतीय राष्ट्रीय महासमा की स्थापना, 1885

 - (viii) स्वातन्त्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की 'अभिनव-भारत' संस्था .(vii) बंगाल का विभाजन, 1995
 - (ब) असहयोग आन्दोलन
 - (क) प्रथम विश्वयुद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव
 - (ख) एम०के० गाँधी का भारत आगमन
 - (ग) रौलेट अधिनियम
 - (घ) जलियाँवाला बाग नरसंहार(13 अप्रैल 1918)
 - (ड.) असहयोग आन्दोलन
 - (i) सकारात्मक पहलू (ii) नकारात्मक पहलू
 - (च) असहयोग आन्दोलन की असफलता के कारण
 - सविनय अवज्ञा आन्दोलन
 - (क) साइमनं कमीशन
 - (ख) नमक सत्याग्रह- वाँडी कूच
 - (ग) नेंहरू रिपोर्ट .
 - * ? (घ) पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव
 - मारत छोड़ो आन्दोलन
- (क) द्वितीय विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव
 - (ख) सुभाष चन्द्र बोस और आज़ाद हिन्द फौज
 - (ग) अगस्त-क्रांति, 1942
 - (घ) भारत छोड़ों क्षान्दोलन की असफलता के कारण
 - भारत का विभाजन (य)
 - (क) मुस्लिम लीग और उसकी माँगे
 - (ख) कीबनेट मिशन योजना
 - (ग) माउण्टबेटेन योजना
 - (घ) भारत विभाजन के कारण
 - गाँधीवाद (Gandhism) (क) गाँधी जी के राजनीतिक विचार (2)

https://www.freshersnow.com/

(i) अहिंसा (ii) सत्य (iii) सत्याग्रह (iv) राजनीति का आध्यात्मीकरण (v)राम—राज्य का विचार

(ख) गाँधी जी के सामाजिक विचार

- (1) सर्वोदय की अवधारणा
- (ii) अछूतोद्धार एवं अस्पृश्यता-निवारण
- (iii) 'हरिजन' की अवधारणा
- (ग) गाँधी जी के आर्थिक विचार
- (i) अर्थव्यवस्था का नैतिक आधार
- (ii) संरक्षता का सिद्धान्त
- (iii) स्वावसम्बन
- (iv) कुटीर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था
- (v) विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था

(3) भारतीय राजव्यवस्था(Indian Polity)

- (क) भारतीय संविधान की विशेषताएँ
 - (i) लोकतान्त्रिक व्यवस्था
 - (ii) गणतान्त्रिक व्यवस्था
 - (iii) 'सर्व-धर्म समभाव' की अवधारणा
 - (iv) सहयोगी संघवाद
 - (iv) मौलिक अधिकारों का समावेश

(ख) मौलिंक अधिकारों की अवधारणा

· समानता— स्वंतंत्रता— धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार—संवैधानिक जुपचारों की व्यवस्था व उसका महत्त्व।

(ग) मौलिक कर्तव्य

नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का महत्त्व, समाजिक सहकार व वैज्ञानिक सोच का व्रविकास, पर्यावरण—संरक्षण, नारी की गरिमा का सम्मान, बचपन का संरक्षण, राष्ट्रीय एकता व अखंडता

(घ) नीति निवेशक तत्व(आधारभूत अवधारणाएँ) -

उदारवादी, गाँधीवादी, समाजवादी तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

· की अवधारणा

भारतीय संसद

राष्ट्रपति, खपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधि—निर्माण प्रक्रिया, अध्यादेश, आपात्कालीन स्थिति में संसदीय व्यवस्था पर प्रभाव, प्रधानमंत्री, मन्त्रिपरिषद—अधिकार व शक्तियाँ, प्रधानमंत्री व मन्त्रिपरिषद् पर

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

गठन, कार्यप्रणाली, शक्तियाँ, न्यायापालिंका की स्वतंत्रतता, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन

Soycula

https://www.freshersnow.com/

नागरिकता

भारत की नागरिकता प्राप्त करने की दशाएँ नागरिकता का लोप होने की दशाएँ

राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल

राष्ट्रीय दल का स्तर प्राप्त होने की दशाएँ क्षेत्रीय दल की विशेषताएँ क्षेत्रीय दल का महत्व एवं भूमिका भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रावधान, आरक्षण की समस्या, आरक्षण की उपयोगिता, आरक्षण के प्रावधानों की कमियां

पंचायतीराज (स्थानीय स्वशासन)

शहरी स्थानीय स्वशासन

(1) नगर निगम (2) नगर पालिका

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वशासन की संरचना, कार्य—प्रणाली एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण उत्तराखण्ड का पंचायतराज अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम (2005)

(4) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्र संघ—संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ के उदेश्य, महासभा, सुरक्षा परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियां, विश्व शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका

<u>पर्यावरण</u>— वैश्विक तापन की समस्या, निदान एवं समाधान हेतु प्रयास, प्रदूषण की समस्या, निदान एवं समाधान हेतु प्रयास

मानवाधिकार

मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास

शस्त्रों की होड़

शस्त्रों की होड़ को नियंत्रित करने हेतु यू०एन०ओ० के प्रयास

भूमण्डलीकरण

भूमण्डलीकरण की आवश्यकता, गुण एवं अवगुण

दक्षिण-एशिया

दक्षिण-एशिया की समस्याएँ

सार्क (SAARC) -संगठन, उद्देश्य, उपलब्धियाँ एवं समस्याएँ

nttps://www.freshersnow.com/

भाग-2(ङ)-अर्थशास्त्र

भारतीय अर्थव्यवस्थाः भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषतायें, जनांकिकीय प्रवृत्तियाँ, भारतीय कृषि की विशेषतायें— उत्पादन एवं विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, भौद्योगिक विकास एवं समस्यायें, लघु उद्योग, सूक्ष्म—लघु एवं मध्यम उद्योग—विकास व समस्यायें, नीति, नीति एवं समस्यायें, लघु उद्योग, सूक्ष्म—लघु एवं मध्यम उद्योग—विकास व समस्यायें, नीति, नीति आयोग, मुद्रा एवं वित, नई आर्थिक नीति, गरीबी निवारण एवं रोजगार सूजन कार्यक्रम, आयोग, मुद्रा एवं वित, नई आर्थिक नीति, गरीबी निवारण एवं रोजगार सुजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनायें, भारतीय संघीय व्यवस्था एवं कर प्रणाली, भारत का विदेशी सामाजिक सुरक्षा योजनायें, भारतीय संघीय व्यवस्था एवं कर प्रणाली, विश्व व्यापार संगठन। व्यापार—प्रवृत्ति एवं विशा, भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन।

भार-2(च)-राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामियक घटनाएँ

विश्व के देश, महाद्वीपए प्रमुख अंतरिक्ष घटनाक्रंम विश्व के धर्म, विश्व के आश्चयं, भारतीय राज्य, भारत / विश्व की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, पाज्य, भारत / विश्व की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा प्रमुख पुरस्कार, मारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वैज्ञानिक तथा पकनीकी विकास, कम्प्यूटर साक्षरता, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रीय वकनीकी विकास, कम्प्यूटर साक्षरता, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान, विश्व के प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियां, प्रमुख दररे, प्रमुख सागर—महासागर, विश्व के प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियां, प्रमुख विश्व भाषायं, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, भारत की प्रमुख भाषायं, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्त्वपूर्ण तिथियां, खेल परिवृश्य, प्रमुख खेल एवं सम्बन्धित शब्दावली, प्रमुख समाचार पत्र, महत्त्वपूर्ण तिथियां, खेल परिवृश्य, प्रमुख खेल एवं सम्बन्धित शब्दावली, सम्मेलन / प्रदर्शनी / कान्फ्रेस, प्रमुख रिपॉट और राजनीतिक घटनाक्रम।

Legiala

June 1

भाग-3 उत्तराखण्ड से संबंधित विविध जानकारियाँ

- जलराखण्ड का भौगोलिक परिचयः स्थिति एवं विस्तार, पर्वत, चोटियां, हिमनद, निवयाँ, झीले, प्राकृतिक संसाधनं, वन
- 2. उत्तराखण्ड का इतिहास ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतन्त्रता के उपरान्त प्रमुख राजवंश यथा- कत्यूरी शासन काल, चन्द्र शासन, गोरखा, पंवार एवं ब्रिटिश शासन इत्यादि, स्वतन्त्रता संग्राम में उत्तराखण्ड की भूमिका, प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी एवं विभूतियां, उत्तराखण्ड के विविध आन्दोलन यथा कुली बेगार, गाड़ी सड़क, डोला पालकी, स्वतन्त्रता के उपरान्त के आन्दोल्न चिपको, नशा नहीं रोजगार दो एवं उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलंन के विविध पक्ष, पृथक उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन एवं अद्यतन राजनैतिक घटनाक्रम
- 3. उत्तराखण्ड जल स्त्रोत, मुख्य निवयां, परम्परागत जल स्त्रोत यथा नीलां, धारा, पोखर, चाल खाल, गाड़-गधेरा; सिंचाई के परम्परागत साधन यथा गूल, नहर, नलकूप, हैण्डपम्प एवं विविध सिंचाई योजनायें, ह्रनदी घाटी परियोजनाएं; उत्तराखण्ड में वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्यायें।
- 4. उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था :- कृषि, प्रमुख फसले, व्यावसायिक कृषि एवं कृषिगत समस्यायें, उद्यान, पुष्प, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन इत्यावि, लघु व कुटीर उद्योगों की वर्तमान दशा यथा ऊन, काष्ट, लीह, ताम्र उद्योग इत्यादि, उत्तराखण्ड में विभिन्न उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की वर्तमान दशायें, रोजगार की प्रवृत्तियां, पतायन का संकट
- 6. उत्तरांखण्ड का सांस्कृतिक पक्ष :- परंपरा, रहन-सहन, भाषा-बोली, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक
- 6. उत्तराखण्ड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनांकिकी, उत्तराखण्ड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि विवस्त, लगान एवं
- 7. उत्तराखण्ड में शिक्षाः सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा की दशाएँ एवं तत्सम्बन्धित समस्यायें।
- उत्तराखण्ड में पर्यटन :— धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएँ यथा चार धाम यात्रा, नन्दा राजजात, आध्यात्मिक यात्राएँ इत्यादि, प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, साहसिक पर्यटन यथा पर्वतारोहण,राफ्टिंग, ट्रेकिगं इत्यादि, रेल, वायु तथा
- B. उत्तराखण्ड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दशायें, जल एवं वायु प्रवूषण, बावल फटना, निर्वनीकरण, वनारिन, बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपवायें एवं पारिस्थितिकीय दशाए।
- 10. राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था व महत्वपूर्ण योजनायें / पहलें।
- 11. राज्य द्वारा, जारी सांख्यिकीय आकड़े तथा उससे संबंधित विषय।
- 12. उत्तराखंड में जैव विविधता।
- . 13. अन्य विविध विषय।

परिशिष्ट-2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र (जैसा कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, २००० के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि	श्री / श्रीमती / कुमारी		
सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्री		निवासी ग्राम	
तहसील	नगर	जिला	
उत्तराखण्ड कीअदेश 1950(जैसा कि समय—समय			
1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य रूप में मान्यता दी गई है।			
श्री / श्रीमती / कुमारी उत्तराखण्ड के ग्राम			
जिला	.में सामान्यतया रहता	है	
स्थान :		हस्ताक्षर	
दिनांक :		पूरा नाम	
		पदनाम	
		मुहर	

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ख)

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण—पत्रों के प्रपत्र। प्रमाण—पत्र का प्रारूप उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र

(जैसा कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, २००० के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी	
सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्री	निवासी ग्राम
तहसीलनगरनगर	जिला
उत्तराखण्ड के राज्य की	पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति
उ०प्र० लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाि	तेयों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण
अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी	है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त
है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची—2 में अधिसूचन	ना संख्या—22 / 16 / 92—का—2 / 1995 टी.सी.
दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छा	दित नहीं है।
श्री / श्रीमती / कुमारी	
उत्तराखण्ड के ग्रामतहसीलतहसील	नगर
जिलामें सामान्यतया रहता	है।
स्थान :	हस्ताक्षर
दिनांक :	पूरा नाम
	पदनाम
	मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ग)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता) (अधिसूचना संख्या—64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या		वर्षहे	तु मान्य	दिनांक
पुत्र / पत्नी / पुत्री पोस्ट ऑफिस		जिला	ग्राम / मोहल्ला पिन व	कोड
				फोटो नीचे प्रमाणित है।
इनके परिवार की	सभी स्रोतों से विर्त्त	ोय वर्ष	की औसत	आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के ति	गए निर्धारित मानक ^ह	₹ 8.00 लाख(रूप	ये आठ लाख) से कम	है और इनका परिवार
निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता हैं :				
॥. आव ॥।. अधि	सूचित नगरपालिकाअं	िफुट या उससे ३ ों में 100 वर्ग गज	या उससे अधिक के	आवासीय भूखण्ड, या ज या उससे अधिक के
2. श्री / श्रीमती	/ कुमारी	जो	कि	जाति से हैं और भारत
सरकार / उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में				
सम्मिलित नहीं है।				
	7,		हस्ताक्षर सहित कार्याट	तय की मुहर
आवेदक का नवीनतम	г		नाम	
पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो			पदनाम	
31			,	

परिशिष्ट-2(घ)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997 (जैसा कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/	′श्रीमती / कुमार्र	1
सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्री	*	निवासी ग्राम
तहसीलनग	ार	जिला
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप	से विकलांग, स	वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व
सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 199	93 जैसा कि उ	त्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता
संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुम	गरी(आश्रित)	
		या अविवाहित) उपयंकित अधिनियम, 1993 के ही
प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती,	/ (स्वतंत्रता संग्र	ाम सेनानी) के आश्रित है।
स्थान :-		हस्ताक्षर
दिनांक :		पूरा नाम
		पदनाम
		मुहर
		जिलाधिकारी

परिशिष्ट-2(च)

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्था	संस्थान/अस्पताल का नाम और पता				
प्रमाण पत्र संख्या:					
		तारीख			
	निःश	क्तता प्रमाण–पत्र			
		चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।			
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0					
सुपुत्र /	′पत्नी / सुपुत्री	पहचान चिह्नवंगपहचान चिह्न			
	नम्नलिखि	वत श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।			
क. गरि	ते विषयक(लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय	पक्षाघात(फॉलिज)			
i. ii.	दोनों टांगे(बी. एल.) — दोनों पैर प्रभावित दोनों बांहें(बी. ए.) — दोनों बांहे प्रभावित	(क) दुर्बल पहुंच			
iii.	दोनों टांगे और बांहें (बी.एल. ए.) – दोनों	(ख) कमजोर पकड़ टांगे और टोनों बांहें प्रभावित			
iv.	एक टांग(ओ.एल.) – एक टांग प्रभावित				
		(क) दुर्बल पहुंच			
		(ख) कमजोर पकड़			
		(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)			
v.	एक बांह (ओ.ए.) — एक बांह प्रभावित				
		(क) दुर्बल पहुंच			
		(ख) कमजोर पकड़			
		(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)			
vi. vii.	पीठ और नितम्ब (बी.एच.) — पीठ और नि कमजोर मांस पेशियां (एम.डब्लू.) — मांस	ातम्ब में कड़ापन(बैठ और झुक नहीं सकते) पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति			

अ. अवार्ग अववा अल्प दृष्टि –	
i. बी. — अंधता ii. पी. बी. — आंशिक रूप से अंधता	
ग. कम सुनाई देना	
i. डी. — बधिर ii. पी. डी. — आंशिक रूप से बधिर (उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)	
2. यह स्थिति में प्रगामी है / गैर प्रगामी है / इसमें सुधार होने की सम्भावना है / सुधार होने की है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती—वर्षोंवर्षोंमही के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *	सम्भावना नहीं इीनों की अवधि
3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशतहै।	
1. श्री / श्रीमती / कुमारीअपने कर्तव्यों के निर्वह नेम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते / करती हैं:—	इन के लिए
ii. पी.पी.— धकेलने और खींचने के जिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हां, iii. एल— उठाने के जिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हां, iv. के.सी.— घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। v. बी— झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां, vi. एस— बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां iii. एस.टी.— खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां iii. डब्लू— चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां ix. एस.ई.— देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां x. एच— सुनने/बोलने के जिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	/ ਜहੀਂ / ਜहੀਂ / ਜहੀਂ / ਜहੀਂ / ਜहੀਂ / ਜहੀਂ / ਜहੀਂ / ਜहੀਂ / ਜहੀਂ
डा0) (डा0) (डा0) (डा0 सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य चिकित्सा बोर्ड चिकित्सा बोर्ड चिकित्सा व	

चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित (मुहर सहित)

^{*}जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-2(छ)

दिव्यांगता की श्रेणियों से संबंधित प्रयुक्त संक्षिप्तियों का विवरण Description Of Abbreviations Used Related To DIVYANG Categories

वर्गीकरण से सम्बन्धित प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ

S.NO.	CATEGORY CODE		ABBREVIATION USED		
3.140.	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	
1	В.	बी0	Blind	दृष्टिहीनता	
2	L.V/P.B.	एल0वी० / पी0बी0	Low Vision/Partially Blind	कमदृष्टि / आंशिक दृष्टि	
3	D.	डी0	Deaf	बधिर	
4	H.H/P.D.	एच०एय० / पी०डी०	Hard of Hearing/Partially Deaf	श्रवण शक्ति में ह्वास/आंशिक बधिर	
5	O.A.	ओ०ए०	One Arm Affected (1) Impaired reach (2) Weakness of grip (3) Ataxia	एक हाथ प्रभावित (1) ह्रासित (2) पकड़ने में असमर्थ (3) स्नायु दुर्बलता	
6	O.L.	ओ०एल०	One Leg Affected	एक पैर प्रभावित	
7	B.A.	बी०ए०	Both Arm Affected (1) Impaired (2) Weakness of grip	दोनों हाथ प्रभावित (1) ह्रासित (2) कमजोर पकड़	
8	B.L.	बी०एल०	Both Leg Affected	दोनों पैर प्रभावित	
9	B.L.A.	बी०एल०ए०	Both Leg and Both Arm Affected	दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित	
10	В.Н.	बी0एच0	Stiffback and Hips (cannot sit or stoop)	स्टिफ बैक एण्ड हिप्स (बैठ नहीं सकते)	
11	O.A.L.	ओ०ए०एल०	One Arm and One Leg Affected	एक पैर और एक हाथ प्रभावित	
12	C.P.	सी0पी0	Cerebral Palsy	प्रमस्तिष्क घात	
13	L.C.	एल0सी0	Leprosy Cured	रोगमुक्त कुष्ठ	
14	Dw.	डीडब्ल्यू0	Dwarfism	बौनापन	
15	A.A.V/A.V.	ए०ए०वी० / ए०वी०	Acid Attack Victims/Acid Victims	एसिड आक्रमण पीड़ित / एसिड पीड़ित	
	A.S.D.	ए०एस०डी०	Autism Spectrum Disorder	स्वपरायणता	
	S.L.D.	एस०एल०डी०	Specific learning Disability	विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता	
18	I.D.	आई०डी०	Intellectual Disability	बौद्धिक दिव्यांगता	
	M.Dy./M.W.	एम0डीवाई० / एम0डब्ल्यू०	Muscular Dystrophy/Muscular Weakness and limited physical	पेशीय दुष्पोषण / मांसपेशी की कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति	
	M.I.	एम०आई० .	Mental Illness	मानसिक अस्वस्थता	
	M.D.	एम०डी०	Multiple Disabilities	बहु दिव्यांगता	
	Th.	टीएच0	Thalassaemia	थैलेसीमिया	
23	Hp.	एचपी0	Hemophilia	हीमोफीलिया	